न्यायालय : अवर न्यायाधीश, अरेराज पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या 865 / 2014
सीआइएस 1047.18

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 13.12.2023 वाद पुकारा गया। मामले में प्रतिवादी सं0 21 और 22 की तरफ से दिनांक 07.02.2022 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी का कथन है कि वादी ने मामले में एक पक्षीय सुनवाई अपने पक्ष में रख लिया है । यह कि प्रतिवादीगण अखबार नहीं पढ़ते और न ही उन्हें नोटिस की जानकारी हो पायी अतः मामले वे उपस्थित नहीं हो सके । यह कि दिनांक 15.01.2022 को अनुमंडल दंडाधिकारी अरेराज के न्यायालय में उन्हें इस मामले की जानकारी हुई और तब दिनांक 20.01.2022 को प्रतिवादी अपने उत्तर पत्र के साथ न्यायालय में उपस्थित हुआ । यह कि अभिलेख के अवलोकन से यह बात पता चली कि दिनांक 07.12.2016 को प्रतिवादी के विरुद्ध तामिला घोषित कर दिया गया है इस प्रकार से प्रतिवादी को भी अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखना आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी इस वाद में प्रस्तुत जमीन में कुछ जमीन का हकदार है और मुकदमे में संघर्ष करना चाहता है यह कि न्यायालय से प्रार्थना है कि दिनांक 07.12.2016 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी के उत्तर पत्र को मंजूर करने की कृपा करें ।

मामले में हस्तक्षेपक प्रतिवादी की तरफ से प्रतिउत्तर में कहा गया कि विपक्षीगण ने एक पक्षीय आदेश का रिकाल करने का कोई कारण नहीं दिया है यह कि यदि आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो सभी साक्षियों का पुनः परीक्षण कराना होगा जिससे कि समय का अत्यधिक विलंब होगा। अतः आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाए ।

मामले में प्रतिवादी सं0 8 गणेश पाठक की तरफ से आवेदन का विरोध किया गया और कहा गया कि आवेदकगण ने आवेदन में कोई ऐसा कारण का उल्लेख नहीं किया है जिससे कि उनका आवेदन स्वीकृत हो सके। यह कि वादीगण जानबूझकर अपने परिचित प्रतिवादीगण आवेदन दिलावये हैं जिससे कि पुनः साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करा कर उनको परेशान किया जा सके । साक्षियों को रिकॉल करने से अत्यधिक आर्थिक क्षति होगी अतः प्रतिवादी सं0 21 और 22 के आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा करें।

मामले में उपस्थित पक्षकारों को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में प्रतिवादी सं0 21 और 22 की तरफ से दिनांक 7.12.2016 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसके अंतर्गत न्यायालय के द्वारा तामिला की संपुष्टि प्रतिवादी सं0 21 और 22 के विरुद्ध भी कर दी गयी थी और इनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया था । यह कि मामले में तत्पश्चात साक्ष्य की कार्रवाई प्रारंभ हुई और साक्षियों का साक्ष्य प्रारंभ हो गया । यह कि समस्त दस्तावेजों के अवलोकन पर न्यायालय यह पाती है कि यद्यपि 07.12.2016 के आदेश के अर्न्तगत प्रतिवादी सं0 21 और 22 के विरुद्ध भी एक पक्षीय कार्रवाई प्रारंभ हो गयी थी फिर भी चूंकि प्रतिवादीगण मामले में संघर्ष करना चाहते हैं और विवादित भूमि के एक हिस्से का दावा करते हैं अतः न्याय हित में 10 हजार रुपये खर्चे जो कि मोतिहारी न्यायालय के नजारत में जमा किए जाएंगे। प्रतिवादी सं0 21 और 22 के विरुद्ध दिनांक 07.12.2016 को पारित एक पक्षीय आदेश को वापस लिया जाता है और लिखित कथन मंजूर किया जाता है। प्रतिवादी सं0 21 और 22 को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले में न्यायालय के आदेश का पालन निर्धारित विधिक समय में पूर्ण करे। एतद द्वारा प्रतिवादी सं0 21 और 22 का आवेदन सशर्त स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक .....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)